

अध्याय IV

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

4.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है और यह जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन ;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।⁴⁰

4.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने आन्तरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा जैसे क्षेत्रों में कई मामले पाए जिससे पता चलता है कि विभाग को मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता को देखना चाहिए। हमने मंत्रालय को 67 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों, जिनमें ₹ 170.01 करोड़ का वित्त निहितार्थ था के माध्यम से इन आपत्तियों की सूचना दी।

मंत्रालय/विभाग ने 65 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्ति जिसमें ₹ 166.88 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था के राजस्व पहलू को स्वीकार किया (जनवरी 2016 तक) जिसमें से ₹ 20.57 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। मंत्रालय ने दो मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। उपरोक्त 65 पैराओं में से, मंत्रालय ने 50 पैराओं, जिनमें ₹ 146.61 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था, में विभाग की विफलता को स्वीकार किया (परिशिष्ट III)। मंत्रालय ने 12 मामलों में केवल राजस्व भाग की लेखापरीक्षा आपत्ति को

⁴⁰ इंटोसाई जीओवी 9100- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आन्तरिक नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

स्वीकार किया। बाकी तीन मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी। महत्वपूर्ण आपत्तियों की चर्चा चार मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत की गई है:

- कर आधार का बढ़ाना
- रिटर्नो की संवीक्षा
- निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा
- अन्य मामले

4.3 कर आधार बढ़ाना

महानिदेशक सेवा कर की कार्रवाई योजना, जिसे 26 मई 2003 को मुख्य कमिश्नर को परिपत्रित किया गया था, के अनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं को पीएसयू और निजी क्षेत्र संगठनाओं सहित मुख्य निर्धारितियों से उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित सूचना और ऐसे सेवा प्रदाताओं का उनके पते सहित ब्योरा प्राप्त करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रेंज अधिकारी को पीएसयू सहित मुख्य निर्धारितियों से उनके द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं और ऐसे सेवा प्रदाताओं से ब्योरा प्राप्त करना था ताकि कर आधार को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बोर्ड ने प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्पेशल सैल बनाने के निर्देश जारी किए (नवम्बर 2011) ताकि संभावित निर्धारितियों की पहचान की जा सके।

हमने तीन दृष्टान्त देखे, जहाँ विभाग सेवा कर न देने वालों की पहचान करने में विफल रहा जिसमें से दो दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं:

4.3.1 सेवा कर संग्रहीत करना किन्तु सरकारी खाते में प्रेषित न करना

वित्त अधिनियम की धारा 68 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करता है, को ऐसे तरीके में और उसमें निर्दिष्ट ऐसी अवधि के अन्दर करता है धारा 66 में विनिर्दिष्ट दर पर सेवा कर का भुगतान करना होगा।

चण्डीगढ़-। कमिश्नरी में मै. मास्टर माइंड क्लासेस और मै. गेटवे ने वि व 12 के दौरान हरियाणा सरकार से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने के लिए सेवा कर के प्रति क्रमशः ₹ 23.84 लाख और ₹ 9.89 लाख प्राप्त किए। आगे यह भी पाया गया कि मै. गेटवे ने वि व

12 के लिए एसटी-3 विवरणी दर्ज की जिसमें मूल्य 'शून्य' के रूप में दर्शाया जबकि मै. मास्टर माइंड क्लासेस ने वि व 12 के लिए कोई एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी। किसी भी निर्धारिती ने संग्रहित सेवा कर जमा नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.73 लाख का सेवा कर अपवचन हुआ। यह आपत्ति हरियाणा सरकार विभाग की व्यय लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी थी। जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने (अक्टूबर 2015) यह सूचना देते हुए कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि के लिए एससीएन जारी किया गया था (अगस्त 2015) बताया, कि चूंकि दोनों निर्धारितियों ने सुसंगत अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं की जिससे चूक का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, विभाग को अन्य सरकारी विभागों से उनके द्वारा प्राप्त कर योग्य सेवाओं से संबंधित सूचना एकत्र करनी चाहिए थी ताकि संभावित निर्धारितियों की पहचान हो सके।

4.3.2 एक सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर का पंजीकरण न करना और भुगतान न करना

दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2012/एसटी में विनिर्दिष्ट है कि 1 जुलाई 2012 से, श्रमबल सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, यदि सेवा प्राप्तकर्ता एक कम्पनी या निगम निकाय है और सेवा प्रदाता एक गैर निगमित निकाय है, तो 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत सेवा कर देयता क्रमशः सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

हमने पाया कि कोचीन कमिश्नरी में मै. ओईएन इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री बीनू पोलोस को ₹ 67.39 लाख के मजदूरी प्रभारों का भुगतान किया गया था। तथापि, श्री बीनू पोलोस, विभाग में पंजीकृत नहीं था और उसने वि व 11 से वि व 13 के लिए सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। हमने श्री बीनू पोलोस का गैर पंजीकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा विभाग की कमीशनरी के डाटाबेस के साथ साथ एनएसडीएल साइट से सत्यापित किया।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

यद्यपि मै. ओईएन इंडिया लि. की आन्तरिक लेखापरीक्षा दिसम्बर 2013 में की गई थी जिसमें मार्च 2013 तक की अवधि को कवर किया गया था, श्री बीनू पोलोस द्वारा गैर पंजीकरण और सेवा कर का भुगतान न करने के बारे में नहीं बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि ₹ 13.96 लाख की कुल राशि की मांग करते हुए दो एससीएन जारी किए गए थे (अक्टूबर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर इस चूक को इंगित करने में आन्तरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) की विफलता पर मौन था।

4.4 विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा

रैंजों में एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान, हमने ऐसे मामले पाए जहां विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण कर के भुगतान की देयता, या कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज पर प्राधिकारियों का ध्यान नहीं गया। हमने इस बारे में मंत्रालय का ध्यान 11 ड्राफ्ट पैराग्राफों के माध्यम से दिलाया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति और 10 मामलों में विभाग की विफलता को स्वीकार किया जिन्हें परिशिष्ट-III में बताया गया है और दो मामलों को नीचे दिया गया है।

4.4.1 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 में प्रावधान किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा है को निर्धारित दर पर सेवा कर का भुगतान करेगा। सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6 में अनुबंध किया जाता है कि सेवा कर का भुगतान महीने की 6ठे दिन तक केन्द्र सरकार के पास जमा किया जाएगा। यदि शुल्क इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से या किसी दूसरे मामले में कैलेंडर महीने, जिस में भुगतान प्राप्त किया गया है के तुरन्त बाद महीने के 5वें दिन जमा किया जाता है। यदि निर्धारित कर जमा करने या उसके किसी भाग को निर्धारित अवधि के अनदर केन्द्र सरकार के खाते में जमा करने में विफल रहता है तो वह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के तहत निर्धारित दरों पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा।

मुम्बई IV कमिश्नरी में मै. एसीई पाइपलाइन कोन्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रिकार्डों की विस्तृत संवीक्षा से पता चला (दिसम्बर 2014) कि वि व 13 और वि व 14 के दौरान, निर्धारिती ने विलम्ब से ₹4.74 करोड के सेवा कर का भुगतान किया था, जिस पर उद्ग्राह्य कुल ब्याज ₹43.12 लाख निकाला गया था। तथापि, निर्धारिती ने केवल ₹9.29 लाख के ब्याज का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹33.83 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान हुआ। इस विसंगति के बारे में विभाग द्वारा नहीं बताया गया क्योंकि अनुबद्ध समय सीमा में प्राथमिक संवीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2015) कि निर्धारिती ने वसूली योग्य ब्याज का भुगतान कर दिया था और चूंकि निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणियां देय तिथि के बाद फाइल की थी (अर्थात् अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 के लिए 29 मार्च 2012 को) इसलिए विवरणियों के अभाव में, संवीक्षा समय पर नहीं की जा सकी।

मंत्रालय का उत्तर जो वि व 12 के लिए था, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अवधि (अर्थात् वि व 13 और वि व 14) के लिए प्रासंगिक नहीं था और इसलिए स्वीकार्य नहीं है।

4.4.2 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका, 2009 के पैरा 1.2 बी में प्रावधान है कि सभी एसटी-3 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ साथ सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। सेवा कर नियमावली 1994, के नियम 6 में सेवा कर का भुगतान तुरन्त उस कैलेंडर महीने के बाद, जिसमें सेवा प्रदान की गई मानी गई है उस महीने की 5/6 को या से पूर्व करना निर्धारित किया गया है।

बेलगाम कमिश्नरी में बेल्लारी रेंज की लेखापरीक्षा के दौरान एसटी-3 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा से पता चला कि मै. होथूर इंडस्ट्रीज लि. बेल्लारी ने मई 2011 से अगस्त 2011 की अवधि के लिए एसटी-3 विवरणियों में घोषित सेवा कर और उप कर के ₹9.12 लाख का भुगतान नहीं किया। क्योंकि रेंज अधिकारी ने विवरणियों की प्राथमिक जांच नहीं की थी, विभाग भुगतान न होने के बारे में पता नहीं लगा सका।

जब हमने इसके बारे में बताया (जनवरी 2013), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2016) तथा ब्याज सहित ₹ 16.66 लाख की कुल वसूली बताई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि संबंधित रेंज अधिकारी को इस चूक के बारे में चेतावनी दी गई है।

4.5 निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन प्रणाली तीन महत्वपूर्ण भागों विवरणी की संवीक्षा, लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी से बनी हैं। लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम मानदंडों के आधार पर निर्धारिती यूनिटों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाने के द्वारा निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करना और निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुपालन का स्तर अभिनिश्चित करने के लिए निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा करनी होती है। प्रत्येक कमिश्नरी अपने आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग में अन्दर सहायक/उप कमिश्नर तथा लेखापरीक्षकों से युक्त और अपर/संयुक्त कमिश्नर की अध्यक्षता एक लेखापरीक्षा सेल होता है। लेखापरीक्षा सेल योजना, मॉनीटरिंग तथा की गई लेखापरीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तर दायी है। अधीक्षकों तथा निरीक्षकों से बने लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा योजना के अनुसार और सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका 2011 के अनुसार निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करते हैं।

हमने निर्धारितियों की कवरेज की पर्याप्तता तथा निम्नलिखित दो श्रेणियां (क) आईएजी दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित और (ख) लेखापरीक्षा के लिए देय परन्तु हमारी लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर आईएजी द्वारा कवर न किए गए में से एक के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों की नमूना लेखापरीक्षण द्वारा आईएजी द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। हमने निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति अथवा कर/ब्याज का भुगतान करने/कम करने के बहुत से मामले देखे। हमने 51 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने 39 मामलों (परिशिष्ट III) में लेखापरीक्षा आपत्ति तथा विभाग की विफलता स्वीकार की। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियों का नीचे वर्णन किया गया है।

4.5.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही कवर किये गए चयनित निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों की जांच

आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही शामिल चयनित निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ दृष्टान्त देखे जहाँ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा पार्टियों से निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामले उल्लेख करने से छूट गए थे।

4.5.1.1 एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित न किये गए पाठ्यक्रमों पर सेवा कर का भुगतान न करना

किसी समय पर लागू किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले किसी कोचिंग अथवा प्रशिक्षण को उद्ग्रहणीय सभी सेवा कर से छूट दी गई थी क्योंकि यह सेवा नकारात्मक सूची में है। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने परिपत्र सं. 107/1/2009-एस.टी., दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा यह निर्धारित किया है कि वर्ष 2005 से, एक तकनीकी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान (जिसे अन्यथा एक विश्व विद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है) जिसके पास एआईसीटीई (तकनीकी शिक्षा हेतु अखिल भारतीय परिषद) का अनुमोदन नहीं है, उसे किसी समय पर लागू कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अथवा डिग्री अथवा कोई शैक्षणिक योग्यता जारी करने वाला नहीं कहा जा सकता और अतः यह सेवा कर की परिधि में हैं। तथापि, एक 'डीम्ड विश्वविद्यालय' को इस शर्त से छूट दी गई थी।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में मै. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), अहमदाबाद ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), पीजीपी-एबीएम, पीजीपी-X तथा फैलोशिप कार्यक्रम तथा एमडीपी के रूप में कहे जाने वाले लघु अवधि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से वसूली गई पाठ्यक्रम फीस पर 30 अप्रैल 2011 तक सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। इसने वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग के अंतर्गत 1 मई 2011 से केवल एमडीपीज से प्राप्त आय पर सेवा कर भुगतान करना शुरू किया तथा दीर्घावधि पाठ्यक्रमों जैसे पीजीपीज, पीजीपी-एबीएम, पीजीपी-एक्स तथा फैलोशिप कार्यक्रमों पर छूट का लाभ लेना जारी रखा। तथापि, हमने देखा कि इन पाठ्यक्रमों को न तो किसी

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

लागू कानून द्वारा अनुमोदित किया गया एवं न ही इसके पास एआईसीटीई का अनुमोदन था। आईआईएम एक पंजीकृत सोसाइटी है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा भी नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त अवधि के दौरान संस्थान द्वारा सेवा कर के भुगतान से प्राप्त की गई छूट सही नहीं है। निर्धारिती ने वि व 10 से वि व 14 के बीच संचालित विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रमों पर ₹ 338.63 करोड़ की कुल राशि प्राप्त की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.21 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जिसकी ब्याज के साथ वसूली की जानी अपेक्षित है।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2015) कि निर्धारिती को ₹ 41.94 करोड़ के लिए कारण बताओ ज्ञापन (एससीएन) जारी किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आईएपी के उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है जिन्होंने लेखापरीक्षा की थी।

4.5.1.2 सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 के अनुसार, आऊटपुट सेवा का प्रदाता यहाँ निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज के आधार पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करेगा तथा इनपुट सेवाओं की प्राप्ति व खपत के लिए उपयुक्त अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

त्रिची कमिश्नरी में मै. लक्ष्मी विकास बैंक लिमि., करूर बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत एक पंजीकृत सेवा कर दाता था। लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वि व 08 से वि व 11 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 7.71 करोड़ राशि के सेनवेट क्रेडिट पर निर्धारिती ने उपयुक्त अभिलेख यथा: मासिक आदि शेष, प्राप्तियां, उपयोग तथा अन्तःशेष अनुरक्षित नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 से मार्च 2010 के दौरान मूल दस्तावेजों के स्थान पर शाखाओं से प्राप्त विवरणों के आधार पर प्राप्त किये गए ₹ 32.66 लाख राशि के क्रेडिट के औचित्य का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने यह बताया (मार्च 2012) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अक्टूबर 2015) स्वीकार की तथा बताया कि अक्टूबर 2006 से सितम्बर

2011 तक की अवधि के लिए ₹ 6.02 करोड़ की मांग करते हुए जारी किये गए एससीएन का बराबर शास्ति तथा लागू होने योग्य ब्याज के सहित मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय हो गया था (अप्रैल 2013)। आईएपी की विफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती को अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल हुआ था। अतः, यह निर्धारिती द्वारा तथ्यों को छिपाने का मामला है न कि आईएपी की विफलता का।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करते समय यही आपत्ति दर्शायी थी।

4.5.1.3 गलत वर्गीकरण तथा छूट के परिणामस्वरूप सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(39ए) में निर्माण, चालू करने अथवा प्रतिष्ठापन सेवा को प्रारंभ करने तथा प्रतिष्ठापन करने वाली एजेंसी द्वारा नलसाजी, नालियां बिछाने अथवा तरल के बहाव के लिए अन्य प्रतिष्ठापन अथवा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं सहित किसी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम (निर्माण कार्य संविदा) की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडए) निर्धारित करती है कि माल में सम्पत्ति का अंतरण निर्माण कार्य संविदा के तहत सेवा के वर्गीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है। सेवा कर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामले में, अधिनियम की धारा 75 के अनुसार ब्याज देय है।

चेन्नै सेवा कर -।।। कमिशनरी⁴¹ में सितम्बर 2007 में, मै. टीमको हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड चेन्नै ने पाइपिंग कार्य के अंतर्गत पाइपों के निर्माण तथा गढ़ाई संरेखण, सहायक कार्य किया तथा मै. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दिए गए कार्य आदेश के अनुसार कुशल मजदूरों की आपूर्ति की। आदेश के अनुसार, सारा कच्चा माल जैसे पाइप, फिटिंग, संरचनात्मक सामग्री, उपकरण मै. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमि. के माध्यम से परियोजना के मालिक द्वारा 'निशुल्क जारी' आधार पर निर्धारिती

⁴¹ पहले चेन्नै -।।। कमिशनरी में

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

को उपलब्ध कराए गए थे। निर्धारिती ने सेवा को निर्माण कार्य संविदा सेवा के रूप में वर्गीकृत किया तथा निर्माण कार्य संविदा सेवाओं के अंतर्गत वैकल्पिक संयुक्त योजना पर दो प्रतिशत/चार प्रतिशत (1 अप्रैल 2008 से लागू) की दर पर सेवा कर दिया। तथापि, चूंकि वस्तुओं में सम्पत्ति का अंतरण शामिल नहीं था, इसलिए 'संरेखण', प्रारंभ करने तथा प्रतिष्ठापन सेवाओं' के अंतर्गत वर्गीकृत की जानी थी तथा सेवा कर सकल प्राप्तियों पर पूरी दरों (अर्थात् 10 प्रतिशत/12 प्रतिशत की दर पर) पर भुगतान किया जाना था। छूट के दावे तथा सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 72.25 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो वि व 08 से वि व 10 की अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) तथा बताया कि ₹ 1.09 करोड़ की मांग करते हुए जारी किए गए एससीएन पर बराबर शास्ति तथा लागू होने योग्य ब्याज के साथ मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णय किया गया था (अप्रैल 2013) तथा निर्धारिती ने ₹ 28.47 लाख की राशि का भुगतान किया। आईएपी की विफलता के लिए, मंत्रालय ने बताया कि आवधिक विवरणियों से कमी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि निर्धारिती ने जानबूझ कर तथ्यों का छुपाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हमने निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करते समय यही आपत्ति दर्शायी थी।

4.5.1.4 सेवा के आयात के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2 (i) (डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए निर्धारित करती है कि यदि सेवा प्रदाता भारत से बाहर स्थित है, तो भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने का उत्तर दायी है। सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर, अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहणीय है।

चेन्नै एलटीयू कमिश्नरी में, मै. मोबिस इंडिया लिमिटेड ने 2010-11 तथा 2011-12 में भारत से बाहर स्थित एजेंटों को विभिन्न तिथियों पर भुगतान किए गए कमीशन के प्रति विदेशी मुद्रा में ₹ 3.32 करोड़ का व्यय वहन

किया। सेवा के आयात के प्रति भुगतान किए गए कमीशन पर, भारत में सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान योग्य सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2013) तो मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि 2010-2014 की अवधि के लिए ₹ 77.67 लाख के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता के लिए मंत्रालय ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा में गहन संवीक्षा हेतु चयन के रूप में वर्ष में केवल एक माह के साथ चयनित एवं नमूना आधार पर दस्तावेज लिए गए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि करदाता ने आईएपी की जानकारी में आने से महत्वपूर्ण प्रबन्धन से संबंधित इन फोरेक्स भुगतानों का चतुराई से छलावरण किया और छिपाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी आपत्ति तुलनपत्र की संवीक्षा पर आधारित थी तथा वि व 12 में ₹ 3.32 करोड़ जैसी बड़ी राशि का आईएपी द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए था। अतः कमी के लिए दिया गया उत्तर निर्धारिती परिसरों में अभिलेखों के सत्यापन के दौरान विस्तृत जांच हेतु मुद्दे की पहचान तथा पटल समीक्षा में कमी को दर्शाता है।

4.5.1.5 सेवा कर तथा उस पर ब्याज का भुगतान न करना

धारा 65(104सी) व्यापार सहायता सेवा के तहत आने वाली सेवाओं को सूची से बाहर रखता है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के प्रावधान का स्थान सेवा नियमावली, 2012 के नियम 4(बी) के अनुसार एक सेवा के प्रावधान का स्थान वह स्थान होगा जहाँ सेवारं वास्तव में निष्पादित की गई हैं, यदि सेवारं एक व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई हैं, सेवा के प्रावधान के लिए प्रदाता के साथ जो या तो सेवा के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रस्तुत है, या प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य कर रहा व्यक्ति है, जिसे प्राप्तकर्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है अथवा वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य कर रहा है, इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती सेवा के मामले में, उपरोक्त नियमावली के उप-नियम 9(सी) के अनुसार, सेवा के प्रावधान का स्थान सेवा प्रदाता का स्थान होगा।

अहमदाबाद –सेवा कर कमिश्नरी में मै. बोश रेक्सरोथ (I) लिमि. ने 1 अप्रैल 2007 को अपनी सहायक कम्पनी बोश रेक्सरोथ एजी, जर्मनी (बीआरएजी) के

साथ एक सामान्य सेवा करार पर हस्ताक्षर किये। करार के तदनुसार, बीआरएजी से ग्लोबल अकाउन्ट्स मैनेजर (जीएएम) कहलाने वाले 3-4 सदस्यों का एक दल निर्धारिती के सानन्द संयंत्र पर रहेगा तथा देश में (भारत) सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगा तथा इसके लिए बीआरएजी त्रैमासिक आधार पर दोनों पक्षों द्वारा सहमत राशि वीआरआईएन को भुगतान करेगा। वि व 10 से वि व 14 के दौरान, मै. बोश रेक्सरोथ (I) लिमिटेड ने ऐसी सेवाओं के लिए बोश रेक्सरोथ एजी से ₹ 2.56 करोड़ प्राप्त किये परन्तु निर्धारिती ने सेवा आय को सेवा के निर्यात के रूप में मानते हुए इस पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया। चूंकि जीएएम दल के सदस्यों ने भारत कर योग्य के क्षेत्र (सानन्द, अहमदाबाद) से सेवाएं उपलब्ध कराई थी, इसलिए ऊपर दर्शाये गए प्रावधानों के अनुसार, ऐसी सेवाओं को सेवा का निर्यात नहीं माना जा सकता तथा निर्धारिती कम्पनी जिसने सेवा के लिए भुगतान प्राप्त किया था, ₹ 26.72 लाख के सेवा कर तथा विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 18.74 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2015), तो मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 5.85 लाख की शास्ति के अलावा ₹ 26.72 लाख के सेवा कर तथा ₹ 18.74 लाख के ब्याज का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह भी बताया कि आईएपी ने भी समान राशि के लिए यही मुद्दा उठाया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कमिश्नरी का उत्तर तथा चालान की प्रति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भुगतान हमारी लेखापरीक्षा के कारण किया गया था।

4.5.1.6 निर्माण सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एल) के अनुसार, 1 जुलाई 2012 से, इनपुट सेवाओं में वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उप-खण्ड (जेडजेडक्यू) में निर्दिष्ट वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवाओं को अन्य सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, जब तक वे विनिर्दिष्ट सेवाओं के एक अथवा अधिक के प्रावधान के लिए होने को छोड़कर एक भवन अथवा एक सिविल संरचना या एक भाग के निर्माण के लिए प्रयुक्त हुई हों।'

इसके अतिरिक्त, बोर्ड परिपत्र सं.98/1/2008-एस.टी., दिनांक 4 जनवरी, 2008 के द्वारा बताया है कि सेवा कर का इनपुट क्रेडिट केवल तभी लिया जा सकता है यदि आऊटपुट सेवा कर के लिए दायी 'सेवा' है अथवा 'वस्तुएं' उत्पाद शुल्क के लिए दायी हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ने वि व 10 से वि व 14 की अवधि के दौरान अपने परिसरों में स्थित सिविल संरचनाओं के लिए सिविल निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर ₹ 32.63 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। जैसा कि वित्त अधिनियम, 1994 के खण्ड (105)(जेडजेडक्यू) में परिभाषित किया गया है, ऊपर उद्धरित प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को ऐसी इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए, यह स्वयं ही इनपुट सेवाओं की परिभाषा से निष्कासन के कारण स्वीकार्य नहीं था। अतः निर्धारिती ने गलत तरीके से ₹ 28.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। आईएपी द्वारा आपत्ति की गई राशि घटाने के पश्चात सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति निकाली गई थी।

जब हमने इसे बताया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि ₹ 28.42 लाख के लिए एससीएन जारी किया गया था (अक्टूबर 2014)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि आईएपी पहले ही विव 13 के लिए निर्माण सेवाओं पर ₹ 4.21 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति बता चुकी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जारी किया गया एससीएन स्पष्ट रूप से हमारी आपत्ति से संदर्भित था तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पैरा ₹ 4.21 लाख के इनपुट सेवा क्रेडिट वाले अक्टूबर 2012 के केवल एक आरए बिल से संबंधित था तथा सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति के अन्य उदाहरण हमारे द्वारा दर्शाये जाने तक अलक्षित पड़े रहे थे।

4.5.1.7 सेवा कर भुगतान न करना

एक कम्पनी को उक्त कम्पनी के एक निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराने के लिए सहमत सेवाओं के संबंध में दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 30/2015 के साथ पठित दिनांक 7 अगस्त, 2012 की

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

अधिसूचना सं. 45/2012-सेवा कर के अनुसार सेवा कर देयता सेवा प्राप्तकर्ता पर निर्धारित की गई थी।

हमने वि व 2012 से वि व 2014 की अवधि के लिए जयपुर -II कमिश्नरी की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में अनुरक्षित निर्धारितियों की मास्टर फाइलों की संवीक्षा की। हमने देखा कि मै. बीएमडी प्रा. लिमि. तथा मै. मेवाड़ टेक्नोकास प्रा. लिमि. ने अपने निदेशकों को ₹ 70 लाख का पारिश्रमिक, फीस तथा कमीशन भुगतान किया था परन्तु उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उस पर देय ₹ 8.65 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। अतः वित्त अधिनियम, 1944 की धारा 75 के अनुसार ब्याज के साथ निर्धारितियों से ₹ 8.65 लाख सेवा कर वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मई 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और बताया कि मै बीएमडी प्रा. लिमि. के ₹ 15.06 लाख और मै. मेवाड़ टेक्नोकास प्रा. लिमि. को ₹ 4.82 लाख की राशि का एससीएन जारी किया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा की विफलता पर मंत्रालय का उत्तर मौन था।

4.5.1.8 ब्याज का भुगतान न करना

गुन्दूर कमिश्नरी में मै. इनकैप लिमि. तथा हैदराबाद -II कमिश्नरी में मै. महा इलैक्ट्रानिक्स प्रा. लिमि. ने वि व 12 से वि व 14 के दौरान विलम्ब से सेवा कर का भुगतान किया। परन्तु उन्होंने देय पूरे ब्याज का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 12.64 लाख तथा ₹ 26.52 लाख की राशि के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2014) तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की तथा बताया (सितम्बर-अक्टूबर 2015) कि निर्धारिती ने ब्याज का भुगतान कर दिया। मंत्रालय ने आगे बताया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा पहले ही इस मुद्दे को बता चुकी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आईएपीज द्वारा बताए जाने के बाद भी, ब्याज की काफी राशि हमारे द्वारा बताए जाने के बाद ही वसूल की गई थी।

4.5.1.9 अन्य मामले

हमने देखा कि अन्य मामलों में⁴² निर्धारितियों द्वारा 1.11 करोड़ के राजस्व वाले सेवा कर के गैर भुगतान के दृष्टान्त देखे जिन्हें विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा नहीं दर्शाया गया था। कमिश्नरियों ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की थी। हमने इन सभी मामलों में मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी (जनवरी 2016)।

हमने देखा कि यद्यपि उपरोक्त सभी मामलों में कमिश्नरी की आईएपी द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी, तथापि हमारे द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं चल पाया था।

4.5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य इकाईयों की कवरेज के लिए प्रतिमानों सहित अपर्याप्त अनुपालना

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका, 2011 का पैरा 5.1.2 परिकल्पित करता है कि एक वर्ष में ₹ 3 करोड़ अथवा अधिक (नकद + सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षा की जानी है। हमने निम्नलिखित दृष्टान्त देखे जहाँ इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जबकि यह नियत थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा की गई चूकों का पता नहीं चला जब तक हमारे द्वारा बताया नहीं गया।

4.5.2.1 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 परिकल्पित करती है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति भुगतान योग्य सेवा कर को सरकारी खाते में विलम्ब से भुगतान करने के मामले में, निर्धारित प्रतिशतता पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 14/2011-एसटी के अनुसार ब्याज की दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

⁴² अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में आईआईएम अहमदाबाद, राँची कमिश्नरी में मै. ऊषा मार्टिन इन्डस्ट्रीज लिमि. तथा हैदराबाद-11 कमिश्नरी में मै. इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

बेंगलौर एसटी-11 कमिश्नरी में मै. डस्टर होटल साल्यूशन सर्विसेज प्रा. लिमि. के अभिलेखों की संवीदा से पता चला कि निर्धारिती ने अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए 138 से 227 दिनों के विलम्ब के साथ सेवा कर का भुगतान किया था। तथापि, निर्धारिती ने ऐसे विलम्बित भुगतानों पर ₹ 1.78 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

जब हमने इसे बताया (जून 2013) तो मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती को जारी किये गए एससीएन पर अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹ 2.12 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय दिया गया था (जनवरी 2015) तथा निर्धारिती ने मांग के प्रति ₹ 86.52 लाख का भुगतान किया था (मई 2013 से फरवरी 2014)। मंत्रालय ने आगे बताया कि सेरा लेखापरीक्षा करने से पहले ही, अपवचन रोधी शाखा ने जनवरी 2013 के माह के दौरान निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी तथा एससीएन दिनांक 30 सितम्बर 2013 जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि जारी किया गया एससीएन स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि यह हमारी आपत्तियों पर आधारित था तथा हमारी लेखापरीक्षा के बिना, सेवा कर देयता सामने नहीं आती। एससीएन में अपवचन -रोधी/विभागीय प्रयासों का कोई संदर्भ नहीं था।

4.6 अन्य मुद्दे

4.6.1 एससीएन जारी करने में असामान्य विलम्ब

सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर से उपलब्ध कराई गई तथा भारत में प्राप्त की गई) नियमावली, 2006 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए निर्धारित करती है कि भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवाओं के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने का दायी था जो एक अनिवासी था अथवा भारत से बाहर से था तथा जिसका भारत में कार्यालय नहीं था।

बेंगलौर एलटीयू कमिश्नरी में मै. भारत अर्थ मूवर्स लिमि. ने वि व 2011 एवं वि व 2012 के दौरान भारत से बाहर से प्राप्त अन्य सेवाओं तथा कमीशन के

प्रति विदेशी मुद्रा में ₹ 8.19 करोड़ का व्यय वहन किया था। लेकिन निर्धारिती ने उस पर ₹ 84.41 लाख का सेवा कर और उपकर का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वि व वर्ष 08 से वि व वर्ष 12 की अवधि के लिये भारत के बाहर से प्राप्त राशि पर ₹ 2.70 करोड़ के सेवा कर और उपकर की मांग करते हुये एससीएन जारी किया गया था (अप्रैल 2013)। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने निर्धारिती से वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि कवर करते हुये ₹ 5.95 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुये अतिरिक्त एससीएन (अप्रैल 2012) जारी किया और इसलिए, यह कहना सही नहीं था कि एससीएन तभी जारी किया गया जब हमने जनवरी 2013 में मामले की ओर ध्यान दिलाया। इसलिए, उनके अनुसार विभाग के कार्यवाही में कमी के बावत राजस्व की हानि के आरोप स्वीकार करने योग्य नहीं थे।

मंत्रालय के उत्तर से पता चला कि बेंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी की ओर से अत्यंत विलंब हुआ था चूंकि भारत के बाहर से प्राप्त सेवा का मूल्य मांगने वाला पहला पत्र केवल नवंबर 2009 में जारी किया गया था, लेखापरीक्षा नोट जारी होने से 16 माह और लेखापरीक्षा समाप्त होने के 22 माह समाप्त होने के बाद। सेवा कर कमिश्नरी ने राजस्व को बचाने के लिये कोई भी ठोस कार्रवाई किये बिना दिसंबर 2011 तक ऐसे पत्र निरंतर जारी किये तथापि 2006-07 के लिए मांग का समय बाधित होने का जोखिम था। निर्धारिती को केवल मार्च 2012 में ही समन जारी किये गये थे। इस प्रकार एससीएन जारी करने में बेंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी की ओर से लेखापरीक्षा पूर्ण होने से 50 माह और लेखापरीक्षा नोट जारी होने से 44 माह तक विलंब हुआ था। इस विलंब से मांग के अधिनिर्णय को समय बाधित घोषित करने का जोखिम है।

इसके आतिरिक्त, मंत्रालय को कमिश्नरी में आंतरिक नियंत्रणों की विफलता के कारणों को पहचानना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप ओवरलैपिंग अवधि में एक ही मुद्दे पर दो एससीएन जारी हुये।

4.6.2 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 (4 ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाना

8 अप्रैल 2011, से प्रभावी वित्त अधिनियम 1944 की धारा 73 (4 ए) के अनुसार, जहां किसी भी लेखापरीक्षा जांच या पुष्टि के दौरान, यह पाया गया की कोई भी सेवा कर की उगाही या भुगतान या कम उगाही की गई है या कम भुगतान किया गया है लेकिन निर्धारित अभिलेखों में लेनदेन का सही और पूर्ण विवरण उपलब्ध है, सेवा कर प्रभार योग्य व्यक्ति सेवा कर का भुगतान पूर्व या आंशिक रूप से कर सकता है, चूंकि वो, उसे नोटिस जारी करने से पूर्व कर राशि के आधिकतम 25 प्रतिशत तक, उस अवधि में जब चूक जारी थी, के लिए प्रत्येक माह के लिये ऐसे कर के एक प्रतिशत के बराबर देय ब्याज और जुर्माने सहित प्रभार योग्य कर की राशि स्वीकार कर सकता है।

कालीकट कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने धारा 73(4ए) के अनुसार बिना जुर्माना लगाये अप्रैल 2011 के बाद उठाने गई लेखापरीक्षा आपत्तियों को उजागर नहीं किया, तब, जब निर्धारिती ने पैरा में बताये गये सेवा कर की राशि का भुगतान किया। 25 निर्धारिती इकाइयों के संबंध में जुर्माने का भुगतान न होने के कारण नमूना जांच की राशि ₹ 31.64 लाख थी। जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2013), मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2015) कि लेखापरीक्षा में बताये गये 25 मामलों में से, 15 निर्धारितियों ने ₹ 12.76 लाख के जुर्माने का भुगतान किया । मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2011 को डाली गई धारा 73(4ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का विरोध किया, इस प्रावधान के अंतर्गत बताते हुये कि जुर्माना उन मामलों में वसूली योग्य था जहां जानबूझकर कर अपवंचन हुआ था, वह भी इस तिथि के बाद शुरू मामलों पर। उन्होंने कहा कि यही दिनांक 28 फरवरी, 2011 के सीबीईसी बजट पत्र डीओएफ संख्या 33/3/2011-टीआरयू के पैरा 4.11 में भी कहा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अप्रैल 2011 में संशोधित अधिनियम धोखाधड़ी, अवरोध आदि या अन्यथा, फरवरी 2011 के पत्र की विषय-वस्तु पर ध्यान दिये बिना सभी मामलों पर लागू था, मई 2012 में संशोधन के बाद ही धारा

केवल जानबूझकर किये गये अपवंचन के मामले में लागू की गई थी। इस प्रकार धारा 73(4ए) के अंतर्गत जुर्माना लगाना जैसा कि हमने बताया है उचित है।



(हिमबिन्दु मुंडुंबै)

प्रधान निदेशक (सेवा कर)

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 10 फरवरी 2016